न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4059-I/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.08.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 239/बी–121/2012–13 पुर्नाविलोकन

शोभा सिंह आत्मज परमाई सिंह गौड,

निवासी करनपुरा, तहसील विजयराघवगढ़,

जिला – कटनी (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश भासन
   कलेक्टर कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी, कटनी,
   जिला कटनी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक, आवेदक

श्री एच.के.अग्रवाल,शास. अभिभाषक अनावेदक

!! आदेश !!

(आज दिनांक 30/07/2014)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 239/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश, भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय कलेक्टर, कटनी के समक्ष अपनी स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 731 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 724 रकबा 0.56 हैक्टेयर, कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर विक्रय करने की अनुमति बावत प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात् ग्राम में इस्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं उप-पंजीयक से गाईड लाइन आहुत की गयी। राजस्व निरीक्षक को स्थल जाँच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। आवेदक द्वारा गैंदलाल बल्द शंकरलाल कौल, निवासी जमुबानीकलॉ के साथ इकरारनामा सम्पादित किया गया था। उक्त इकरारनामा गैंदलाल बल्द शंकरलाल कौल की भूमि को आवेदक द्वारा क्रय किये जाने के संबंध में इकरार किया गया है। उक्त दस्तावेज आवेदक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। आवेदक द्वारा अपने कथन प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें बताया गया था कि उक्त भूमि में से 2 वर्ष पूर्व खरीदा है तथा मेरे पास ग्राम करनपुर में शामलाती खाते में 6 एकड़ भूमि है और उस भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु आवेदन में दी गयी भूमि को विक्रय करना चाहता हूँ। आलोक गोयनका ने अपने कथन में स्वीकार किया कि वह उसकी भूमि को क्रय कर रहा है और तय किये गये मूल्य को देने को तैयार है। राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में आवेदित भूमि को आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व एवं कब्जे की भूमि बतायी है तथा आवेदित भूमि खनिज महत्व की भूमि नहीं है बल्कि कृषि भूमि है। प्रतिवेदन में यह बताया गया कि आवेदक के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् ग्राम अक्ष्नमाईन, तहसील मेहर में रकवा 0.308 हैक्टेयर एवं ग्राम कारीतलाई, तहसील विजयराघवगढ़ पिता परमाई के नाम पर 2.33 हैक्टेयर भूमि शेष बचती है। आवेदक अपने पिता परमाई के साथ रहता था और उसके पिता के पास 2.33 हैक्टेयर भूमि है। वर्तमान में आवेदक के पिता का स्वर्गवास हो गया है। इसलिए पिता के नाम की भूमि आवेदक एवं उसके भाई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गयी है, इसलिए उसे भूमि की विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2006 पारित कर विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 307/-121/2006-07 प्रस्तुत की गयी थी, जो

आदेश दिनांक 22.03.2007 से निरस्त की जाकर यह निर्देश दिया गया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है, तो वह भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेगा। इस आदेश के पश्चात् आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 239/बी-121/2012-13 प्रस्तुत किया गया था, जो पारित आदेश दिनांक 20.08.2013 से अस्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की समस्त सत्य प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गयी है एवं उनके द्वारा उक्त दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा अपने मौखिक तर्को में यह बताया है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने के पश्चात् ग्राम अन्नमाईन, तहसील मेहर में 0.308 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम कारीतराई पिता परमाई के मृत्यु के पश्चात् 2.33 हैक्टेयर भूमि तथा गेंदलाल कौल की भूमि खसरा क्रमांक 218 रकवा 1.430 हैक्टेयर भूमि बचती है, ऐसी स्थिति में आवेदक के पास शेष बची रहती है, जिससे वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा। प्रश्नाधीन भूमि विक्रयकर अपनी शेष बची भूमि को सिंचित तथा गेंदलाल से 1.430 हैक्टेयर क्रय करने के पश्चात् उसकी आय एवं स्त्रोत बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में अपील निरस्त किये जाने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। अन्त में यह बताया गया कि उसकी ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें एवं उसे भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये।

4– अनावेदकगण की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि उपरोक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् आवेदक के पास भूमि शेष नहीं बचेगी। जिससे वह भूमिहीन हो जायेगा और वह अन्य भूमि की माँग करेंगा। जबकि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्पष्ट आदेश पारित किये गये है, उन्हें स्थिर रखकर वर्तमान निगरानी को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में आवेदक की ओर से उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विक्रय अनुमति के आवेदन पत्र को इस आधार पर अमान्य किया है कि ग्राम अजमाईन, तहसील मेहर में 0.308 हैक्टेयर एवं कालीतराई में आवेदक के पास भूमि नहीं है, उसके पिता परमाई के पास 2.33 हैक्टेयर भूमि है, इसलिए आवेदक, आवेदित भूमि के विक्रय करने पश्चात् भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेगा। आवेदक, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा कछगवां पटवारी हल्का नम्बर 45 स्थित भूमि खसरा क्र. 731 रकवा 0.48 हैक्टेयर, 724 रकवा 0.56 हैक्टेयर, कुल रकवा 1.04 हैक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी विधिवत जाँच करायी जाकर, नायब तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 17.08.2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी, कटनी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 27.09.2006 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को ग्राम कछगंवा की भूमि विक्रय करने के बाद ग्राम अजवाईन, तहसील मेहर में रकवा 0.308 हैक्टेयर एवं ग्राम कारीतराई, तहसील विजयराघवगढ में पिता परमाई के नाम पर 2.33 हैक्टेयर भूमि शेष बचती है तथा उप–पंजीयक कार्यालय से प्राप्त गाईडलाइन के अनुसार आवेदित भूमि का मूल्य 3,32,800 रूपये होता है और विक्रय की जा रही भूमि ग्राम से लगभग 1 कि.मी. दूरी मुख्य मार्ग से 1/2 कि.मी. दूर है। स्थल पर कोई फलदार एवं इमारती वृक्ष नहीं है, भूमि पर कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। इस प्रकार आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को विक्रय करने के पश्चात् ग्राम अजमाईन में रकवा 0.308 हैक्टेयर एवं कारीतराई में पिता परमाई के नाम की भूमि रकवा 2.33 हैक्टेयर शेष बचती है, ऐसी स्थिति में आवेदक, आवेदित भूमि को विक्रय करने के पश्चात संहिता की धारा 2(ठ) के अन्तर्गत उल्लेखित भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेगा। जबकि आवेदक के पास विक्रय करने के पश्चात् ग्राम अजमाईन, तहसील मेहर में रकवा 0.308 हैक्टेयर एवं ग्राम कालीतराई, तहसील विजयराघवगढ़ में पैत्रिक भूमि रकवा 2.33 हैक्टेयर तथा गेंदलाल की भूमि खसरा क्रमांक 218 रकवा 1.430 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित करने

वह आवेदक भूमिहीन [illegible] आयेगा, इसलिए इस [illegible] स्थिति पर विचार किये बिना जो पारित किये गये है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाते है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2013 एवं कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 तथा कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2006 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त किये जाते है एवं आवेदक को भूमि खसरा क्रमांक 731 रकवा 0.48 हैक्टेयर, खसरा क्रमाक 724 रकवा 0.56 हैक्टेयर कुल रकवा 1.04हैक्टेयर विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर